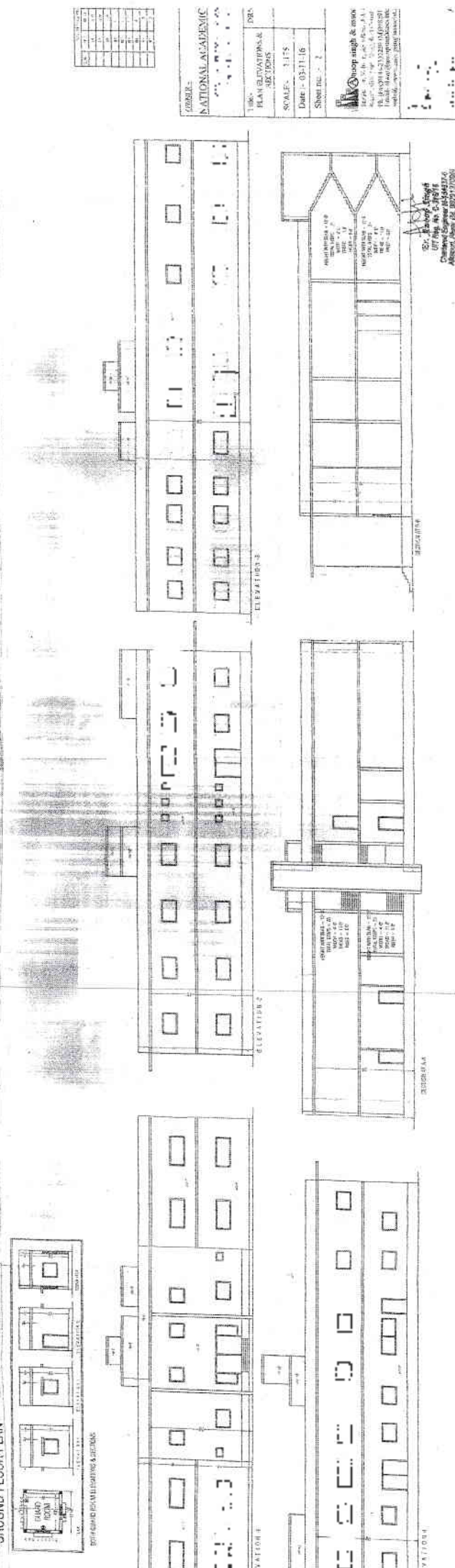
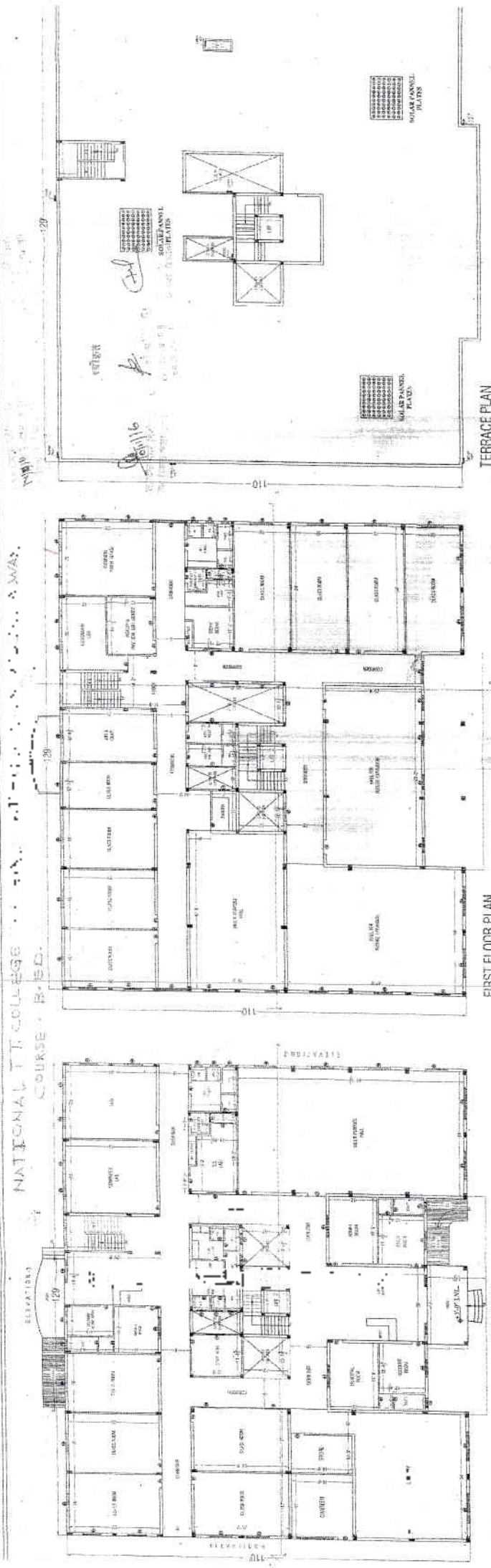


NATIONAL T. COLLEGE COURSE B.B.D.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

NATIONAL ACADEMIC

PLAN ELEVATIONS & SECTIONS

SCALE: 1/4" = 1'-0"

Date: 03-11-16

Sheet No.: 2

Dr. Robert J. Smith
UT Reg. No. 5-18716
Chancellor, University of Tennessee
Albany, New York 12212-0001



नगर विकास न्यास, अलवर



शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भूखण्ड हेतु लीजडीड (पट्टा)

01. यह लीजडीड (पट्टा) आज दिनांक 24 माह 8 वर्ष 2016 को प्रथम पक्ष नगर विकास न्यास, अलवर जो एतद् पश्चात् पट्टादाता कहलायेंगे एवं द्वितीय पक्ष श्री रवि अग्रवाल द्वारा श्री 16 स्कीम नगर अलवर जो एतद् पश्चात् पट्टाग्रहिता कहलायेंगे के बीच निष्पादित हुआ।
02. पट्टादाता ने पट्टा ग्रहिता को एक शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भूखण्ड जिसका विवरण संलग्न अनुसूची में अंकित किया गया है, निम्न प्रकार पट्टे (लीज) कर दिया है :-
03. पट्टे के प्रतिफल स्वरूप राशि रुपये 23703975/- / - अक्षरे रुपये दो करोड़ से तीस लाख मात्र अधिशुल्क के रूप में पट्टाग्रहिता ने पट्टादाता को अदा किये हैं। तथा नगरीय भूमि पर (अरबन असेसमेंट) राशि रुपये 379264/- - वार्षिक देय है। उक्त प्रतिफल पर भूखण्ड शैक्षणिक क्षेत्रफल 8160.53 वर्गमीटर जो न्यास की योजना बुध विहार (ब्लॉक 'ए') अलवर में योजना में स्थित है, 99 वर्षीय पट्टे पर दिया है। 99 वर्ष की अवधि दिनांक 23 माह 02 वर्ष 2016 से प्रारम्भ होगी। वार्षिक देय नगरीय भूमि कर अथवा ऐसा अन्य नगरीय भूमि कर जो इस अनुबन्ध की शर्तों के अधीन निर्धारित किया जावे, नगर विकास न्यास के कार्यालय में अथवा ऐसे स्थान पर जो इस तात्पर्य हेतु पट्टादाता द्वारा विज्ञप्ति में प्रकाशित किया जावे प्रतिवर्ष 31 मार्च तक एक मुस्त देना होगा।
04. इस अनुबन्ध में अन्तर्विषय अपवादों, आरक्षणों, प्रसंविदाओं तथा एतद् पश्चात् वर्णित प्रतिवन्धों के सदैव अधीन रहते हैं :-
 I. पट्टादाता उक्त भूखण्ड या पर उसके नीचे स्थित समस्त खानों, खनिजों, कांसजा, खण, भूमिगत तेल आदि व अन्य खनिजों का अधिकार भूखण्ड के धरातल या उस पर बने शैक्षणिक भवन के लिए अवलम्ब की व्यवस्था के या रहने दिये बिना हर समय ऐसे समस्त कार्य जो अन्वेषण करने, खनन कार्य करने, खनिजों को हटाने और उसके प्रयोजनार्थ आवश्यक एवं इष्ट कार्य करने के लिए पूर्ण अधिकार व शक्ति आरक्षित रखता है। परन्तु सदैव यह शर्त होगी कि एतद् द्वारा अन्तर्क्षित अधिकारों या उसमें से किसी भी अधिकार का प्रयोग करने में प्रत्यक्ष हुई किसी क्षति के लिए पट्टाग्रहिता को उचित क्षतिपूर्ति का भुगतान करेगा।
 II. पट्टाग्रहिता स्वयं अपने लिए, अपने उत्तराधिकारी, निष्पादकों प्रबन्धकों और अभिहस्ताक्षरियों के लिए पट्टादाता के संग निम्न रूपेण प्रसंविदा करता है, अर्थात्-
 पट्टाग्रहिता, पट्टादाता को वार्षिक नगरीय भूमि कर का भुगतान पूर्व में उल्लेखित विधि के अनुसार करेगा।

R. Aggarwal

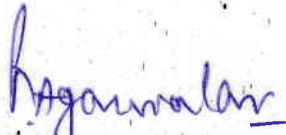
आवंटी के हस्ताक्षर

उप-पञ्जीयक
(अलवर)

प्रभारी निदेशकारी आदर्श

राष्ट्रीय राजधानी परियोजना क्षेत्र एवं
सचिव नगर विकास न्यास, अलवर

02. पट्टाग्रहीता-निर्धारित साईट प्लान (मानचित्र) से किसी भी रूप में विचलित नहीं होगा और भूखण्ड का उपविभाजन, एकीकरण या अन्यथा किसी प्रकार का परिवर्तन पट्टादाता को लिखित पूर्वानुमति के बिना नहीं करेगा।
03. पट्टाग्रहीता निर्धारित अवधि में मानचित्र स्वीकृति कर निर्माण स्वीकृति प्राप्त कर अपने व्यय से भूखण्ड पर शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भवन निर्माण निर्धारित अवधि में करेगा तथा भवन निर्माण पूर्ण होने का प्रमाण पत्र पट्टादाता से प्राप्त करेगा।
04. पट्टाग्रहीता अपने शैक्षणिक भूखण्ड या उसके किसी भाग को पट्टादाता की लिखित पूर्वानुमति के बिना न तो विक्रय करेगा, न हस्तान्तरित करेगा और न ही अन्यथा किसी प्रकार से अधिकार छोड़ेगा। हस्तान्तरण की अनुमति पट्टादाता द्वारा दिये जाते समय ऐसे निबन्धन या शर्तें लगाई जा सकेंगी जो उसकी राय में उचित हों।
05. पट्टाग्रहीता द्वारा अपना लीज अधिकार हस्तान्तरित किये जाने पर हस्तान्तरित, उक्त पट्टे में सन्निहित समस्त ब्रसविदाओं व प्रतिबन्धों से बाध्य होगा।
06. जब पट्टाग्रहीता स्वत्व किसी तरह से अन्तरित हो तो इसकी सूचना पट्टादाता को लिखित में अन्तरण में तीन माह के भीतर दी जायेगी। पट्टाग्रहीता की मृत्यु की दशा में मृत्यु की सूचना तीन माह में उस व्यक्ति द्वारा दी जायेगी जिसे भूतक से स्वत्व प्राप्त हो या उत्तराधिकार प्राप्त हो। अन्तरण या मृत्यु की सूचना तीन माह में बिना समुचित कारण के नहीं दी जाती है।
07. पट्टाग्रहीता सदैव समय पर ऐसे समय स्थानीय करों, अन्य करों, प्रगारों और प्रत्येक प्रकार के निर्धारित करों का भुगतान करेगा जो भूखण्ड या उस पर निर्मित भवन पर या उससे संबंधित भूस्वामी या भाटकधारी पर निर्धारित, प्रस्तुत किये गये हैं, या लगाये गये हैं अथवा इस पट्टे के चालू रहते निर्धारित प्रस्तुत किये जावें या लगावे जावें।
08. पट्टे पर दिये गये शैक्षणिक भूखण्ड के संबंध में अदत (अनपेड) नगरीय भूमि कर तथा अन्य राशि के वसूली भू-राजस्व की अदत राशि की भांति की जा सकेगी।
09. पट्टाग्रहीता, पट्टादाता की लिखित पूर्व स्वीकृति के बिना भूखण्ड पर कोई निर्माण, परिवर्तन या परिवर्द्धन नहीं करेगा। पट्टाग्रहीता, पट्टादाता की लिखित पूर्वानुमति के बिना पट्टान्तरित शैक्षणिक भूखण्ड पर या उस निर्मित भवन में किसी प्रकार का ऐसा व्यापार नया व्यवसाय नहीं करेगा या करने देगा उसका उपयोग जो पट्टादाता के लिए या पडोस में रहने वाले के लिए न्यूरॉस, पिछोम या त्रास का कारण हो। परन्तु यदि पट्टादाता शैक्षणिक भूखण्ड या उस पर निर्मित भवन का उपयोग शैक्षणिक से भिन्न करने का इच्छुक है तो पट्टादाता ऐसे निबन्ध एवं शर्तों के अधीन जिसमें अतिरिक्त अधिशुल्क और अतिरिक्त भाटक का भुगतान सम्मिलित है पट्टादाता अपने विवेक से निर्धारित कर उपयोग के ऐसे परिवर्तन की अनुमति दे सकेगा।
10. पट्टाग्रहीता इस पट्टे की समाप्ति पर उक्त शैक्षणिक भूखण्ड तथा उस पर अवस्थित भवन शांति पूर्वक पट्टादाता को समर्पित करेगा।


आवंटी के हस्ताक्षर


उप-निदेशक
(प्रमाण) अलवर


प्रभारी निदेशक आवंटन
राष्ट्रीय राजधानी परियोजना क्षेत्र एवं
सचिव नगर विकास न्यास, अलवर

आज दिनांक 29 माह August सन् 2016 को 12:31 बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री RAVI AGARWAL पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री DR. P.S AGARWAL
उम्र 55 वर्ष, जाति MAHAJAN व्यवसाय BUSINESS
निवासी 16 LAJPAT NAGAR ALWAR
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

P. Agarwal
हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता हस्ताक्षर उप पंजीयक, ALWAR-1
(2016004988)
(Lease deed for local bodies (Patta))

रसीद नं० 2016004749 दिनांक 29/08/2016
पंजीयन शुल्क रु० 244640/-
प्रतिनिधि शुल्क रु० 300/-
पृष्ठांकन शुल्क रु० 0/-
अन्य शुल्क रु० 0/-
कमी स्टाम्प शुल्क रु० 1223130/-
सरकार 244630/-
कुल योग रु० 1712700/-

प्रमाण पत्र
राशि 1712700 रुपये जरिये D.D.
नम्बर 001656 दिनांक 28-9-16
स अदा की गई।

P.
(2016004988) उप पंजीयक, ALWAR-1
(Lease deed for local bodies (Patta))

उप पंजीयक प्रथम, अलवर

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र
प्रमाणित किया जाता है कि इस विक्रय पत्र
की मालियत रुपये 24462503
मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक
राशि 1223130 पर कमी पंजीयन शुल्क
रुपये 244640 कुल रुपये 1712700
जरिये रसीद संख्या 2016004749 दिनांक 29/08/2016
में जमा किये गये हैं।
अतः दस्तावेज को रुपये 1223130
के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

P.
(2016004988) उप पंजीयक, ALWAR-1
(Lease deed for local bodies (Patta))

- III. यह अधिशुल्क या निर्धारित वार्षिक नगरीय भूमिकर की कोई राशि या उसका अंश किसी समय अदत्त रह जाये और 30 दिवस में चुकाने के नोटिस पर भी नहीं चुकाई जायें अथवा यह पता चले कि कोई तथ्य छिपाकर या मिथ्या कथन पर या छल करके यह पट्टा प्राप्त किया है तो इस पट्टा विलेख में किसी बात के होते हुए भी पट्टादाता इस पट्टे को निरस्त करने, भूखण्ड पर या भवन में प्रवेश कर उसे अधिपत्य में लेने को अधिकृत होगा और उसके बाद पट्टाग्रहीता का कोई अधिकार भूखण्ड या भवन के संबंध में शेष नहीं रहेगा और पट्टादाता द्वारा किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति का या अधिशुल्क लौटाने का बाध्य नहीं होगा। परन्तु इसमें किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी पट्टादाता पुनः अधिग्रहण के अधिकार के बाद भी स्वतः विलेख से शास्ति या ब्याज लगाकर राशि जमा करवाकर पट्टाग्रहीता के दोष को अपमार्जित कर सकेगा।
- IV. अववर्तन (फोराफीचर) या पुनः प्रवेश तब तक प्रभावशील नहीं होगा जब तक पट्टादाता द्वारा पट्टाग्रहीता को पट्टे के भंग किये जाने तथा उसे भंग के उपचार के संबंध में उल्लेख करते हुए समुचित नोटिस नहीं दिया गया हो। परन्तु भूखण्ड की कोई बात खण्ड में उल्लेखित उगविभाजन, एकीकरण व हस्तान्तरण संबंधी प्रतिबन्धों व प्रसंविदाओं पर तथा किसी तथ्य को छिपाकर मिथ्या कथन कर कर कपट या पट्टा प्राप्त किये जाने के मामले में लागू नहीं होगी।
- V. नगरीय भूमि कर के निर्धारण का अधिकार एतद् द्वारा आरक्षित रखा गया है। प्रत्येक 15 वर्ष बाद संशोधित किया जा सकेगा किन्तु वृद्धि 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। प्रत्येक अन्तरण पर भी 25 प्रतिशत तक वृद्धि की जा सकेगी।
- VI. पट्टादाता इस पट्टे के अधीन प्रयुक्त होने वाली समस्त शक्तियों या उसमें से किसी शक्ति का प्रयोग करने के लिए न्यास अध्यक्ष अथवा न्यास के किसी अधिकारी को अधिकृत कर सकेगा।
- VII. इस पट्टे के अन्तर्गत किये जाने वाले समस्त सूचना पत्र, आदेश, निर्देश, सहमति, स्वीकृति या अनुमोदन लिखित में होंगे और ऐसे अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होंगे, जो पट्टादाता द्वारा प्राधिकृत हो एवं उन्हें भूखण्ड या उस बने भवन पर लगाकर, चिपका कर या पट्टाग्रहीता या उसके अधीन दावा करने वाले व्यक्ति को दिये जाकर या उसके सम्बंध में ज्ञात स्थान पर चस्पा कर तालीम कराया जा सकेगा और ऐसी तालीम पर्याप्त होगी।
- VIII. इस विलेख में इसको पूर्व प्रयुक्त पदावली पट्टादाता और पट्टाग्रहीता में संदर्भान्तर्गत पट्टादाता की दशा में उसके उत्तराधिकारी और अभिहस्ताकिति (असाइनी) तथा पट्टाग्रहीता की दशा में उसके उत्तराधिकारी, विष्पादक, प्रबन्धक वा वैध प्रतिनिधि या अन्तरिति वा अन्य व्यक्ति जो पट्टादाता की हैसियत से दावा करें, शामिल होंगे।
- IX. यह पट्टा राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 व भूमि निस्तारण नियम 1974 तथा समय-समय पर सरकार से जारी होने वाले आदेशों से शासित होगा। जिसके साक्ष्य में पट्टादाता के लिए उसकी ओर से तथा उसके आदेश और निर्देश से सचिव नगर विकास न्यास, अलवर ने हस्ताक्षर किये हैं तथा पट्टाग्रहीता ने हस्ताक्षर किये हैं।

R. Agarwal
आवंटी के हस्ताक्षर

उप पंजीयक
(प्रधान) अलवर

प्रभाटी अधिकारी आवांटी
निर्देशक

राष्ट्रीय राजधानी परियोजना क्षेत्र एवं
सचिव नगर विकास न्यास, अलवर

हस्ताक्षर

फोटो

अंगूठा

उक्त श्री/श्रीमती/सुश्री (Exccutant)
1-NATIONAL ACADEMIC FOU, THRO/ RAVI
AGARWAL DR. P.S. AGARWAL
Age: 55, Caste- MAHAJAN
Occu.- BUSINESS
R/O-16 LAJPAT NAGAR ALWAR

h. agarwal



(And Claimant)
1-UIT/
Age: 0, Caste-
Occu.-
R/O-ALWAR

ने लेख्यपत्र Lease deed for local bodies (Patta)
को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया।
प्रतिफल राशी रु0 24462503/- पूर्व में/मेरे
समक्ष/मे से रु0 24462503/- पूर्व में _____
यहैरे समझ प्राप्त करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान

1. श्री/श्रीमती/सुश्री ANSHUL GARG
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ASHOK GARG उम्र 26 वर्ष
जाति MAHAJAN व्यवसाय BUSINESS
निवासी 24/B BANK COLONY ALWAR

2. श्री/श्रीमती/सुश्री RITESH GUPTA
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MAHENDRA GUPTA उम्र 36 वर्ष
जाति MAHAJAN व्यवसाय BUSINESS
निवासी BHERIWALA KUAN ALWAR ने की है जिनके

समस्त हस्ताक्षर एवं अंगूठा के निशान मेरे समक्ष लिये गये हैं।

(2016004938)

उप पंजीयक, ALWAR-1
(Lease deed for local bodies (Patta))

आज दिनांक 29/08/2016 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1119
में पृष्ठ संख्या 101 क्रम संख्या 2016002399 पर
पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3557
में पृष्ठ संख्या 1 से 7 पर
घसपा किया गया।

(2016004938) उप पंजीयक, ALWAR-1
(Lease deed for local bodies (Patta))

Anshul Garg

Ritesh Gupta



निर्दिष्ट अनुसूची

स्कूल/शैक्षणिक

भूखण्ड संख्या भूखण्ड योजना गुदा विस्तार ब्लॉक 'ए' अलवर जिसका क्षेत्रफल 3160.53 वर्गमीटर है।

योजना अलवर नगर में स्थित है। जिसकी सीमाएँ व भुजाएँ निम्न प्रकार है :-

- उत्तर - Road 40'-0" wide
पूर्व - Reserved for school.
दक्षिण - Road 40'-0" wide
पश्चिम - Road 40'-0" wide, P.No. 152 and P.No. 129.

और जो न्यास की योजना के ले-आउट के अनुसार है।

निदेशक
प्रभारी अधिकारी आवंटन
राष्ट्रीय राजधानी परियोजना क्षेत्र एवं
नगर विकास न्यास, अलवर
सचिव नगर विकास न्यास, अलवर

द्वितीय पक्ष

साक्षी -

नाम

पता

हस्ताक्षर

1.

Ritesh Gupta

Periwark kua, kush Marg
ALWAR

Ritesh Gupta

2.

Anchal Gupta

24/13 Bank Colony
ALWAR

Anchal Gupta

उप निदेशक
(प्रमुख) अलवर



5



राजस्थान RAJASTHAN

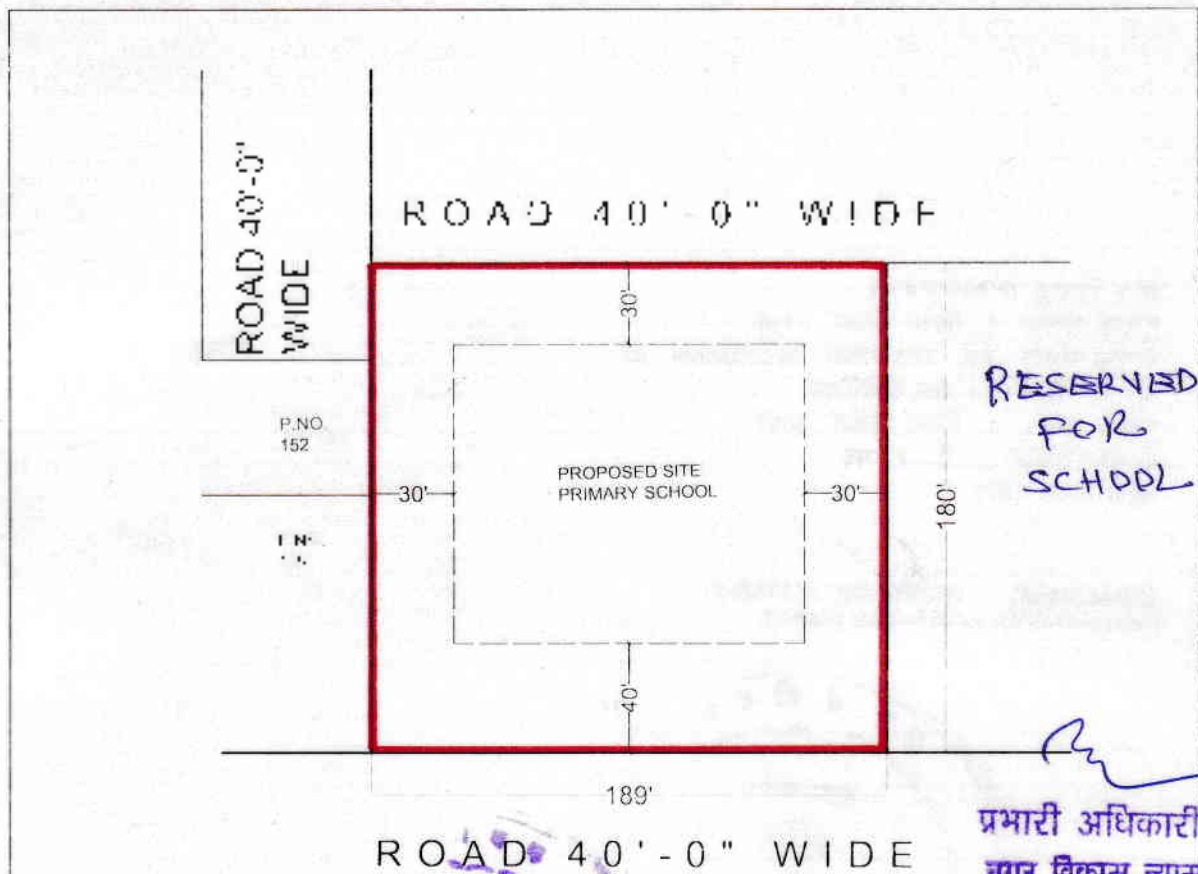
AD 574645



रुपय सहस्रपय दिनांक २७-५-१८ शशि १००/- रुपये
 श्रवण्ड श्रवण / शैक्षणिक प्रयोजनार्थ प्रयोजन मुख्य विद्यार्
 (हलाक 'ए') की लीजडी वास्ते फेरा है।

प्रभारी अधिकारी आवहन
 नगर विकास न्यास, अलवर

उप पंजीयक,
 (प्रथम) अलवर



NOTE-

(1)= TOTAL PLOT AREA = 189'-0" X 180'-0" = 3160.53 SQ.MT.

(2)= MAXM. PERMISSIBLE COVERAGE AREA = AS PER BUILDING LINE

(3)= MAXM. PERMISSIBLE FAR..... = 1.33

(4)= MAXM. PERMISSIBLE HEIGHT = AS PER VNIUOM 2012

(5)= PLOT AREA SHOWN RED

	SITE PLAN OF ALLOTTED LAND TO NATIONAL ACADEMIC FOUNDATION FOR SCHOOL / EDUCATIONAL USE (BLOCK - C) BUDHA VIHAR AT ALWAR		
	DRN BY 	SCALE = 1:500	CHECKED BY
U.I.T. ALWAR	I. P. A.	A. T. P.	EX. ENGINEER
URBAN IMPROVEMENT TRUST, ALWAR			



भारतीय स्टेट बैंक STATE BANK OF INDIA

SHIVAJI PARK, ALWAR A-10 ASHOK VIHAR KARMCHARI COLONY SHIVAJI
ALWAR RAJASTHAN 301001
Tel. 2730788

NATIONAL ACADEMIC FOUNDATION
BANK M. STONE VIJAY MANDIR ROAD.

ALWAR
Alwar

25/01/2018

सावधि जमा सूचना
(सावधि जमा स्वीकृति के पत्र में)
TERM DEPOSIT ADVICE
(In lieu of Term Deposit Receipt)

नामांकन / Nomination - पंजीकृत / Registered / अपंजीकृत / Not Registered

दिनांक / Date

प्रिय महोदय/महोदया, Dear Sir/Madam,

हमें यह सुनिश्चित करते हुए प्रसन्नता है कि आपको निम्नलिखित साक्षि हमारे पास जमा है आदेश, में कृपया आपके पत्राचार में खाता क्रमांक का सार्वजनिक उपयोग के लिए सावधि बैंकिंग करने के लिए धन्यवाद में। We have pleasure in confirming details of the following amount held in deposit with us. Please quote the Account Number in all correspondence. Thank you for Banking with us.

नाम /
Name

सि. नं./
CIF No.

पैन संख्या /
PAN NO

खाता संचालन की विधि / Mode of Operation

प्रयोजन / Scheme

खाता क्रमांक / Acc. No.	सावधि / Term	व्याज दर / Interest @	मूल राशि / Principal Amt	जारी करने की तारीख / Value Date	परिपक्वता की तारीख / Maturity Date
37489477619	1 Y	6.25 %	5,00,000.00	25.1.2018	25.1.2019

परिपक्वता राशि / Maturity Value
INR 5,31,580.00

भवदीय / Yours faithfully,

Printed 1 Times

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता / Authorised Signatory

कृपया पृष्ठ 448 / F.T.O

This is not a negotiable document



भारतीय स्टेट बैंक STATE BANK OF INDIA

SHIVAJI PARK ALWAR A 10 ASHOK VIHAR KARMCHARI COLONY SHIVAJI
ALWAR RAJASTHAN 301001
Tel: 2730789

सावधि जमा सूचना
(सावधि जमा रसीद के पदज में)
TERM DEPOSIT ADVICE
(In lieu of Term Deposit Receipt)

NATIONAL ACADEMIC FOUNDATION
8th K.M. STONE, VIJAY MANDIR ROAD,

ALWAR
PH.01442730482,2731333

नाम दर्ज / Nomination : पंजीकृत / Registered, अंजीकृत / Not Registered
दिनांक : Date : 28/09/2015

प्रिय महोदय/महोदया, Dear Sir/Madam,

हमें यह पुष्टि करते हुए प्रसन्नता है कि आपकी निम्नांकित राशि हमारे पास जमा है, भविष्य में, कृपया आपके पत्राचार में खाता क्रमांक का संदर्भ अवश्य दें, हमारे साथ बैंकिंग करने के लिए धन्यवाद. We have pleasure in confirming details of the following amount held in deposit with us. Please quote the account number in all correspondence. Thank you for Banking with us.

नाम /
Name: NATIONAL ACADEMIC FOUNDATION

सी.आई.एफ. संख्या /
CIF No. 8515222631-9

पैन संख्या /
PAN NO. AAATN6787B

Executive Secretary

And Regional Director NRE NCTE JAIPUR

खाता संचालन की विधि: /
Mode of Operation : SINGLE

योजना /
Scheme : STD-GEN PUB-OTH-5Y-10Y-INR

खाता क्रमांक / A/c No.	सावधि / Term	ब्याज दर Interest @	मूल राशि Principal Amt.	जारी करने की तारीख Value Date	परिपक्वता की तारीख Maturity Date
35250180804	5 Y	7.2500 %	INR 4,00,000.000	28.9.2015	28.9.2020

परिपक्वता राशि /
Maturity Value : INR 5,72,904.00
Annualised Yield (%) : 8.64

भवदीय / Yours faithfully,

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता / Authorised Signatory



बैंक ऑफ इंडिया

आपकी सेवा में सदैव तत्पर



Bank of India

The Bank that cares

संदर्भ संख्या *29/08/2012*

दिनांक : *29.08.2012*

To whom so ever it may concern

*Certify that Current Account No. 65520110000034
in the name of M/s National T.T. College for
girls is running with us as a loan facility
available in the above said Current Account
Confidence loan at the request of Customer
for the above Current Account Only -*

कुत बैंक ऑफ इंडिया

[Signature]
अलवर शाखा प्रबन्धक
अलवर शाखा

अलवर शाखा - 4, रघुमार्ग, सचिन टॉवर, भगतसिंह सर्किल,

अलवर - 301001 (राज.) ☎ 0144-2332370 फैक्स 0144-2332897

तार का पता - स्ट्रिंगेंट / (STRINGENT) ईमेल - alwar.rajasthan@bankofindia.com.in

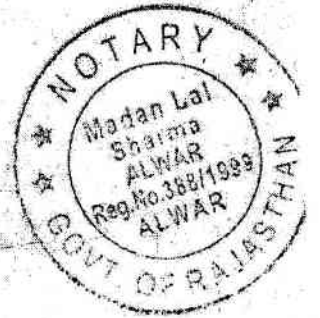
प्रधान कार्यालय - स्टार हाऊस, सी-5 "जी" ब्लॉक, बान्ना कुर्ता संकुल, बान्ना (पूर्व) मुम्बई 400051

राजस्थान सरकार



रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक २५७/३१५२/१६४८



यह प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित व्यक्ति का उद्देश्य
साधित है कि जिला ३१५२ का
राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९५८ (राजस्थान अधिनियम
नं० २८, १९५८) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज
दिनांक १५ माह ३१५२ सन् एक हजार नौ सौ ६४८ की
अलवर में दिया गया।



रजिस्ट्रार संस्था
अलवर।

Principal
National Academy
Alwar (Raj)

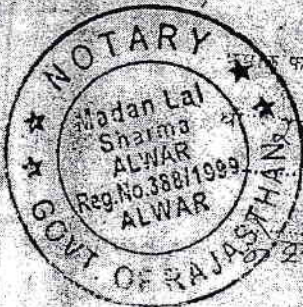
PHOTOCOPY ATTESTED
Madan Lal Sharma
NOTARY, ALWAR

संख्या ५५८ (३)

कार्यालय रजिस्ट्रार संस्थाएं

अलवर (राजस्थान)

4784



संस्था का संस्था रजि.

अलवर

अलवर

रजिस्ट्रार

30/10/98

आमदारी दिनांक

अलवर लोक सेवा आयोग काउन्सिलर सचिव, अलवर

विषय :- राजस्थान संस्था रजिस्ट्रार अधिनियम 1958 के अंतर्गत संस्था रजिस्ट्रारों के बारे में।

प्राप्त की संस्था का रजिस्ट्रार प्रमाण-पत्र क्रमांक 247/82/ल.स.स. दिनांक 30/10/98 संचालन है, जिसकी प्राप्ति की सूचना भिजवाने का कष्ट करें। यहां ध्यान रक्त अधिनियम की धारा 4 व 4 (क) की ओर भी प्रकाशित किया जाता है। जिसके प्रावधानों के अनुसार आपको प्रतिवर्ष आम सभा के 14 दिवस में निम्नलिखित सूचनाएं भेजना जरूरी है :-

1. संस्था के भागों का प्रबंध जिसको सौंपा गया है, उस परिषद, समिति या अन्य शासी निकाय के शासकों, संचालकों, न्यायियों या सदस्यों के नाम, पते और पेशे की सूचना मध्य पद के।
2. एक विवरण पत्र जिसमें उपरोक्त सदस्यों के नाम आदि उस वर्ष, जिस वर्ष की सूची है, के दौरान हुए समस्त परिवर्तनों का दिखाया गया हो।
3. संस्था के नियमों और विनियमों का एक तारीख सही प्रतिलिपि जो शासी निकाय के शासकों, संचालकों, न्यायियों या सदस्यों में से कम से कम तीन सदस्यों द्वारा सही प्रमाणित की गई हो। इसके अलावा संस्था के नियमों और विनियमों में किये गये प्रत्येक परिवर्तन की प्रतिलिपि को उपरोक्त रीति से सही प्रमाणित की गई हो, ऐसा परिवर्तन करने की तारीख से पन्द्रह दिन के अन्दर अन्दर इस कार्यालय को पहुंच जानी चाहिये।

प्राप्त का ध्यान इस अधिनियम की धारा 4 (खा) की ओर प्रकाशित किया जाता है जिसके अनुसार उपरोक्त प्रावधानों का पालन करने में विफल रहने वाला अपराध के सिद्ध होने पर, ऐसे अर्थ दण्ड में दण्डनीय होगा, जो पंच या दण्ड तक का हो सकता है तथा लगातार भग होने की दशा में और ऐसे अर्थ दण्ड से दंडनीय होगा जो प्रत्येक दिन के लिये जिसमें कि ऐसे अपराध के सिद्ध प्रथम अपराध सिद्ध के पश्चात् चक्र जारी रहती है, पचास रुपये से अधिक न होगा। यदि कोई व्यक्ति धारा 4 के अधीन प्रस्तुत की गई सूची में या धारा 4 (का) के अधीन रजिस्ट्रार को भेज गये विवरण पत्र या नियमों और विनियमों की या उनमें किये गये परिवर्तनों की प्रतिलिपि में जानबूझकर कोई मिथ्या प्रविष्टि या लोप करता या करवाता है तो अपराध सिद्ध होने पर ऐसे अर्थ दण्ड से दंडनीय होगा जो दो हजार रु. तक का हो सकता है।

नोट :- इस कार्यालय से भविष्य में किसी प्रकार का पत्र व्यवहार करते समय संस्था का रजिस्ट्रेशन नं. एवं वर्ष प्रकट करें।

PHOTOCOPY ATTESTED

Madan Lal Sharma
NOTARY, ALWAR

मूल प्रमाण-पत्र

Principal

National Academy
Alwar (Raj)

रजिस्ट्रार संस्थाएं
अलवर (राजस्थान)



भारतीय स्टेट बैंक STATE BANK OF INDIA

SHIVAJI PARK ALWAR A 10 ASHOK VIHAR KARMCHARI COLONY
SHIVAJI PART ALWAR DIST ALWAR 301001
Tel: 2730789

सावधि जमा सूचना
(सावधि जमा रसीद के एवज में)
TERM DEPOSIT ADVICE
(In lieu of Term Deposit Receipt)

NATIONAL ACADEMIC FOUNDATION
8th K.M. STONE, VIJAY MANDIR ROAD,

नामांकन / Nomination 25/04/2013 Registered / अपंजीकृत / Not Registered

दिनांक / Date :

ALWAR

PH.01442730482, 2731333

प्रिय महोदय/महोदया, Dear Sir/Madam,

हमें यह पुष्टि करते हुए प्रसन्नता है कि आपकी निम्नलिखित राशि हमारे पास जमा है, भविष्य में, कृपया आपके पत्राचार में खाता क्रमांक का संदर्भ अवश्य दें, हमारे साथ बैंकिंग करने के लिए धन्यवाद. We have pleasure in confirming details of the following amount held in deposit with us. Please quote the account number in all correspondence. Thank you for Banking with us.

नाम /

Name: NATIONAL ACADEMIC FOUNDATION

सी.आई.एफ. संख्या /

CIF No. 8515222631-9

पैन संख्या /

PAN NO. AAATN6787B

खाता संचालन की विधि: /
Mode of Operation :

योजना /

Scheme : STD-GEN PUB-OTH-5Y-10Y-INR

खाता क्रमांक/A/c No.	सावधि/Term	ब्याज दर Interest @	मूल राशि Principal Amt.	जारी करने की तारीख Value Date	परिपक्वता की तारीख Maturity Date
32860074370	5 Y	8.75 %	INR 3,00,000.00	25.4.2013	25.4.2018

परिपक्वता राशि /
Maturity Value :

INR 4,62,463.00

Annualised Yield (%): 10.82

भवदीय / Yours faithfully,

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता / Authorised Signatory

*कृपया तुरंत भेजें / P.T.O.